## Notice for empanelment

Gorakhpur industrial development authority invites application for empanelment of qualified and reputed architects and planner for the developmental work in GIDA.

Interested firm representatives may apply with firm details and experience before 26th August of 2019. Selected firms or representatives will

present their PPT presentation before a committee.

Visit gida website www.gidagkp.org for further details.

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के विकास कार्य हेतु अई एवं प्रख्यात वास्तुविद् तथा नियोजकों के पैनल में सम्मिलित करने हेतु आमंत्रित करता है।

इच्छुक फर्म/अभ्यर्थी अपने विवरण एवं अनुभव के साथ दिनांक 26-08-2019 तक आवेदन कर सकते है। चुने गये फर्म/अभ्यर्थी को समिति के

समक्ष प्रस्तुति करनी होगी।

अन्य विस्तृत सूचना गीडा की वेबसाईट www.gidagkp.org पर देखी जा — सकती है।

> मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर।

## परिशिष्ट -15

## (विनियम संख्या 8 देख)

भवन अनुझा—प्रत्र और पर्ययेक्षण योजना बनाने के लिए लाइसेन्सधारी तकनीकी कार्मिक की

- (1) प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिये जाने के प्रयोजनार्थ भवन अनुज्ञा—पत्र और पर्यवेक्षण के लिये विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी कार्मिक की अर्हताएं और चनकी क्षमता।
- (१) वारतुविद-

्रजित्ताए— लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वास्तुविद की अर्हता होगी भारतीय वास्तुविद संस्थान की रोड नेवदस्यता या ऐसी डिग्री या डिप्लोमा जो उसे ऐसी सदस्यता का यात्र बनाता हो या वास्तुविद् पिट नेवत १९७२ की अनुसूची 14 में उल्लिखित अर्हताएं और वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में यथा उपबन्धित

- (एक) कोई लाइसेंसधारी वास्तुविद भवन अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित बंधने में सज्जन होगा और वह निम्नलिखित को प्रस्तुत करने के लिए इकदार होगा।
  - (दो) मवन अनुज्ञा-पञ्च सम्बन्धी सभी योजनाये और उनसे सम्बन्धित सूधनायें ।
- (तीन) 500 मीटर के प्लाट और चार मंजिली कंचाई तक के भवनों के लिए संरचनात्मक विवरण और गणनायें।
  - (चार) सभी भवनों के लिये पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र

क्रिया वीरवापुर विद्या वीरवापुर